



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 वैशाख 1942 (श०)  
(सं० पटना 275) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
6 मई 2020

एस० ओ० 118 दिनांक 6 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियमावली, 2020 है।  
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 3 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त माने जाएंगे।
2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।”।

3. उक्त नियमावली के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए **प्रारूप जीएसटीआर-3ब** की विवरणनी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”

[(सं०सं० बिक्री 2017/21-विविध/जीएसटी/कर-(खंड-8) 792)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 मई 2020

एस० ओ० 118 दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)792)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6<sup>th</sup> May 2020

S.O. 118 Dated 6<sup>th</sup> May 2020--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 3<sup>rd</sup> day of April, 2020.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31<sup>st</sup> March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30<sup>th</sup> day of June, 2020 and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31<sup>st</sup> day of July, 2020.”

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)792)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 275-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>